राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक : प.1(1)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2021 जयपुर, दिनांक 17.12.2023

–: आज्ञा :–

आयोजना विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 31.12.2021 एवं 04.08.2023 द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिलों में गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया था।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की अ. शा. टीप क्रमांक प. 6(51)प्र.सु./अनु. 3/2018, दिनांक 17.12.2023 की अनुपालना में बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिलों में गठित जिला प्रथम स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष का मनोनयन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

17/12/23

(सी. पी. मण्डावरिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
6. निदेशक, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. संबंधित जिला कलक्टर को भेजकर अनुरोध है कि आज्ञा की प्रति संबंधित को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 6(51)प्र.सु./अनु.3 /2018, दिनांक 17.12.2023 के संदर्भ में।
15. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

17/12/23
संयुक्त शासन सचिव